राजस्थान सरकार
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग

जयपुर, दिनांक : 17/12/19

क्रमांक : प. 6(107)राज–3/19

जिला कलक्टर,
उदयपुर।

विषयः– ग्राम मादडी पानेरियान में किस्म परिवर्तन कर आबादी करने के संबंध में।
संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्र प.12/3( )राजस्व/किस्म परिवर्तन/2019/2823 दिनांक 27.11.2019

महोदय,

आप द्वारा पत्र दिनांक 27.11.2019 के माध्यम से नगर विकास न्यास, उदयपुर के नाम दर्ज कतिपय भूमियों की किस्म मगरी से आबादी करने का निवेदन किया है। आप द्वारा यह निवेदन इसलिए किया गया है क्योंकि निदेशक, स्वायत शासन विभाग ने आयुक्त, नगर निगम उदयपुर को यह निर्देशित किया है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मगरी भूमि को पहाड़ी क्षेत्र परिभाषित किया गया है एवं पहाड़ी क्षेत्र की भूमि पर नियमन करना निषेद्य है। इसलिए मगरी भूमि की किस्म आबादी कराने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित भूमि का उपयोग उनके द्वारा मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत इत्यादी प्रयोजन हेतु किया जाना चाहिए। नगरीय स्थानीय निकाय के नाम जमाबंदी में अंकित भूमि की किस्म इस हेतु प्रसांगिक नहीं है।

फिर भी यह उचित होगा कि नगरीय स्थानीय निकायों को राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.12.2010 अथवा जयपुर विकास अधिकरण अधिनियम एवं इसके समकक्ष अन्य अधिनियमों के तहत संबंधित स्थानीय निकायों में धारित (vested) भूमियों का अंकन जमाबंदी में करते समय उनकी किस्म आबादी दर्ज कर दी जाए। इसी प्रकार नगरीय स्थानीय निकायों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 क के तहत आवंटित भूमि की किस्म, जिस प्रयोजन हेतु यह भूमि धारा 92 के तहत अलग रखी गई है, अंकित की जाए।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि भूमि जल भराव क्षेत्र में है जिसमें प्राकृतिक जलस्त्रोतों तक बरसात का पानी पहुंचाने वाले साधन यथा नाला पायतन, तालाब, ट्रीब्यूट्री एवं प्राकृतिक जलस्त्रोत यथा नदी, तालाब, बांध, जोहड़ आदि सम्मिलित है, तो ऐसी भूमियों की किस्म परिवर्तन आबादी में नहीं की जाए। नगर नियोजन विभाग, शहरी निकाय विभाग व नगरीय विकास एवं आवास विभाग से भी यह अपेक्षित है कि मास्टर प्लान में भी, यथा सम्भव, भूमियों का तदानुसार अंकन किया जाए ताकि विरोधाभास की कोई स्थिति नहीं रहे।

भवदीय,

(संजय मल्होत्रा)
ओ/सी प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार।
2. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. समस्त जिला कलक्टर।

ओ/सी प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner